राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12 (7) राज/वाद/2024 जयपुर, दिनांकः 03/3/25

समस्त प्रशासनिक विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष

राज० सरकार
.....।

::परिपत्र::

इस विभाग के संज्ञान में आया है कि प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्षों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में तथ्यों से विज्ञ सक्षम स्तर के अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है, समय पर राजकीय अधिवक्ता को प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट व अन्य सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, स्थानांतरण/सेवानिवृत होने पर पत्रावलियों को उनके स्थान पर नवपदस्थापित अधिकारियों को समय पर हस्तांतरित (Handover) नहीं किया जाता है तथा राजकीय अधिवक्ताओं की नवीन नियुक्ति होने पर पत्रावलियां पूर्व में पैरवीरत राजकीय अधिवक्ताओं से प्राप्त कर नवनियुक्त अधिवक्ताओं को उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 807/2012 सरदार मल यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.02.2025 में प्रभारी अधिकारियों द्वारा विचाराधीन प्रकरणों में बरती जा रही लापहरवाही को गंभीरता से लेते हुये राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग नियमावली 1999 के अध्याय–22 के नियम 233 में उल्लेखित प्रभारी अधिकारियों के दायित्वों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्षों से अपेक्षा है कि उनके विभाग से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में राज्य की ओर से सुदृढ़ एवं समुचित पैरवी सुनिश्चित करने हेतु वाद प्रभारी अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों को निर्देशित करें कि विचाराधीन प्रकरणों में नियुक्त वाद प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से विद्वान महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता से संपर्क कर प्रभारी अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि उन्हें पूर्व में पैरवीरत राजकीय अधिवक्तागण से विचाराधीन प्रकरणों की पत्रावलियां उपलब्ध करवा दी गयी हैं। जिन प्रकरणों की पत्रावलियां अभी तक उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं उन प्रकरणों की पत्रावलियां प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष और वाद प्रभारी अधिकारी अविलम्ब उपलब्ध करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के समय राजकीय अधिवक्ता को पैरवी में असुविधा एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।
2. जब कभी माननीय न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाये, प्रभारी अधिकारी सुनवाई के समय आवश्यक रूप से उपस्थित रहें तथा राजकीय अधिवक्ता को प्रकरण की अद्यतन प्रगति व मामले से संबंधित समस्त तथ्यों से अवगत करायें। ऐसा नहीं करने पर प्रभारी अधिकारी प्रकरण में राज्य के विरूद्ध आदेश पारित होने पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा तथा वह गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।
3. लंबित प्रकरणों की अद्यतन सूची प्रकरण में पैरवीरत विद्वान महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता और राजकीय अधिवक्तागण को उपलब्ध करायें।
4. यथा समय संबंधित राजकीय अधिवक्तागण को तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करायें।
5. "Litigation Information Tracking & Evaluation System" (LITES) सॉफ्टवेयर पर प्रकरणों की सूचना नियमित रूप से दर्ज कर अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें।

निरन्तर....2

6. प्रभारी अधिकारी का स्थानांतरण होने अथवा सेवानिवृत होने की स्थिति में संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियां नवनियुक्त/पदभार संभालने वाले अधिकारी को अविलम्ब उपलब्ध करायी जायें।
7. लंबित प्रकरणों की विधि विभाग के समेकित परिपत्र दिनांक 19.03.2010 के परिशिष्ट –7 में विहित प्रारूप में मासिक समीक्षा कर सूचना संधारित की जाये।
8. प्रभारी अधिकारी प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष को प्रकरण की प्रत्येक तारीखपेशी पर सम्पन्न कार्यवाही की अद्यतन सूचना से नियमित रूप से अवगत करायें।

➢ **प्रशासनिक विभाग/विभागाध्याक्षों के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाहीः–**

1. सभी वाद प्रभारी अधिक्रारियों की नियुक्ति न्याय विभाग की वेबसाइट "Litigation Information Tracking & Evaluation System" (LITES) से ही किया जाना सुनश्चित करायें।
2. वाद प्रभारी अधिकारी के रूप में सक्षम एवं सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी को ही नियुक्त किया जाए तथा उसे निर्देशित किया जाए कि वह विधि एवं विधिक कार्य विभाग नियमावली, 1999 के अध्याय–22 एवं राजकीय वादकरण नीति–2018 के अध्याय–6 व 7 में निहित दायित्वों का पूर्ण सतर्कता व तत्परता से निर्वहन करें।
3. प्रत्येक माह विधि एवं विधिक कार्य विभाग के समेकित परिपत्र दिनांक 19.03.2010 के परिशिष्ट– 7 में विहित प्रारूप में वादकरण की समीक्षा करें।
4. वाद प्रभारी अधिकारी के द्वारा कर्तव्यों की पालना नहीं किये जाने पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

03.3.25

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक प.12(7)/राज/वाद/2024 जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैंः–

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/राजस्थान जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता,राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ पीठ जयपुर ।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता / वरिष्ठ अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता /,एडवोकेट ऑन रिकार्डस राजस्थान सरकार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
8. राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उप राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ पीठ जयपुर।
9. शासन संयुक्त सचिव, न्याय विभाग,शासन सचिवालय जयपुर को लाईटस सॉफ्टवेयर से संबंधित बिन्दुओं की प्रभावी मॉनेटरिंग हेतु प्रेषित है।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
11. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी / सहायक विधि परामर्शी/वरिष्ठ विधि अधिकारी,विधि विभाग जयपुर।
12. प्रशासक वादकरण राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ पीठ जयपुर
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
16. रक्षित पत्रावली।

03/03/2025

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव